प्रकाशन हेतु अनुमोदित नहीं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक अपील क्रमांक 247/2012

महेश कुमार शर्मा पिता गणेश प्रसाद शर्मा , उम्र लगभग-45 वर्ष, निवासी, टीकरीपारा, जिला-तखतपुर, थाना-तखतपुर, पेशा-शिक्षाकर्मी वर्ग-1, शासकीय हाई स्कूल सेमर्सल, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़

...............अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा-पुलिस थाना जरहागॉव, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़

..............उत्तरवादी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से- डॉ० एन० के० शुक्ला अधिवक्ता सहित श्री विक्रम दीक्षित अधिवक्ता।

उत्तरवादी की ओर से- श्री अफरोज खान पेनल अधिवक्ता ।

जस्टिस माननीय श्री संजय के० अग्रवाल

जस्टिस माननीय श्री संजय एस० अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

दिनांक 19/09/2022

संजय के०अग्रवाल, जे

1. अपीलार्थी द्वारा धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत यह आपराधिक अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 55/2010 में पारित निर्णय दिनांक

28/02/2012 के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, जिला बिलासपुर ने अपीलार्थी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है तथा आजीवन कारावास एवं 2000/- रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है तथा जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह हैं कि गंगाराम (मृतक) उस स्कूल का छात्र था, जहाँ अपीलार्थी शिक्षक के रुप में कार्यरत था, उसने अपीलार्थी को (अभियोजन साक्षी-11) के साथ आपत्तिजनक परिस्थिति में देखा था, इस कारण दिनांक 02/10/2010 की सुबह 09:30 बजे से शाम 05:00 बजे के मध्य, अपीलार्थी ने गंगाराम की हत्या करने के इरादे से उस पर चाकू से हमला किया और उसे एक गड्ढा में फेंक दिया, जिससे अपीलार्थी को चेहरे और शरीर पर चोंटे आई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह हैं कि दिनांक 02/10/2010 को मृतक गंगाराम के दादा सीताराम (अभियोजन साक्षी-14) और उनकी पत्नी कवरीबाई ने गंगाराम का शव बाबाजी के खेत में बेहोशी की हालत में पड़ा पाया, इसके बाद वे सबसे पहले मृतक गंगाराम को जरहागाँव पुलिस थाना ले गए । इसी बीच, पुलिस थाना जाते समय रास्ते में मृतक गंगाराम के चाचा काशीराम (अभियोजन साक्षी-13) भी उनके साथ आ गये और उन्होंने पाया कि गंगाराम बेहोशी की हालत में था और बोलने में असमर्थ था और उसके चेहरे व शरीर पर चोंटे आईं थी । पुलिस थाना पहुंचने के बाद काशीराम (अभियोजन साक्षी-13) ने शाम 05:45 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्रदर्श पी-16 हैं । उसके बाद वे गंगाराम को ईलाज के लिये सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र, मुंगेली ले गये, जहाँ डॉ० सुदेश रात्रे (अभियोजन साक्षी-9) ने शाम 06:10 बजे उसकी जाँच की और पाया कि उसे किसी ठोस और नुकीली वस्तु से चोटे पहुंचायी गयी थी । न्यायालय के समक्ष अपने बयान में डॉ० सुदेश रात्रे (अभियोजन साक्षी-9) ने कहा हैं कि जब उन्होंने गंगाराम की जाँच की तो वह बेहोशी की हालत में था और बोलने में असमर्थ था , चूंकि उसका काफी खून बह चुका था , इसलिये प्राथमिक उपचार के बाद उसे सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया । हालांकि अभियोजन पक्ष का यह मामला हैं कि जब मृतक मुंगेली अस्पताल में था तो उसने अपने पिता तुलाराम (अभियोजन साक्षी-2) को मौखिक मृत्यूपूर्व कथन दिया था और कहा था कि शर्मा सर (अपीलार्थी) ने उसके साथ मारपीट की हैं । इसके बाद जब गंगाराम को सिम्स अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मृतक गंगाराम की मृत्यु के पश्चात् दिनांक 03/10/2010 को प्र०पी०-20 मर्ग सूचना दर्ज की गयी तथा प्र०पी० -1 के तहत् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अंतर्गत गवाहों को समन जारी करने के पश्चात् प्र०पी० -2 के तहत् जाँच की गई तथा उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया , जो डॉ० मनीष श्रीवास्तव (अभियोजन साक्षी-10) द्वारा किया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र०पी०-14 के तहत् प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें मृत्यु का कारण सिर में चोट लगने के कारण कोमा बताया गया हैं तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक बताई गयी हैं । अपीलार्थी के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी -5 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा पहनी गई टीशर्ट के साथ-साथ एक नोकिया मोबाईल की बरामदगी प्रदर्श पी-6 के अनुसार की गई, प्रदर्श पी-11 के तहत् नजरी नक्शा तैयार किया गया

। जब्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया तथा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-26 के रूप में अभिलेख पर लाई गई । जिसमें अपीलार्थी द्वारा पहनी गई टीशर्ट पर खून पाया गया था, लेकिन खून के विघटन के कारण खून की उत्पत्ति या उसके रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सका । समूचित अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत् दण्डनीय अपराध के लिये आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया , जिसे विधि अनुसार सुनवाई और निराकरण के लिये सत्र न्यायालय को अंतरित किया गया। अपीलार्थी ने अपने अपराध को अस्वीकार किया और बचाव में प्रवेश किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 25 साक्षियों का परीक्षण किया और 26 दस्तावेज पेश किए। अपीलार्थी/आरोपी का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया , जिसमें उसने अपराध अस्वीकार किया और अपने बचाव में 2 साक्षियों का परीक्षण कराया और 2 दस्तावेज पेश किए।

6. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, मृतक गंगाराम की मृत्यु को मानव वध की प्रकृति का पाते हुए और आगे मृतक द्वारा तुलाराम (अ०सा०-2), भोलाराम (अ०सा०-12), काशीराम (अ०सा०-13) और सीताराम (अ०सा०-14) को दिए गए मौखिक मृत्युपूर्व कथन के आधार पर अपीलकर्ता को अपराध का अपराधी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराया और पूर्वोक्त सजा सुनाई।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला ने निम्नलिखित दलीलें पेश की :

(i) यह कि, मृतक गंगाराम द्वारा अपने पिता तुलाराम (अ०सा०-2), भोलाराम (अ०सा०-12), काशीराम (अ०सा०-13) और सीताराम (अ०सा०-14) को कथित रूप से दिया गया मौखिक मृत्युपूर्व कथन विश्वास पैदा नहीं करता है और यह विश्वसनीय नहीं है और इसलिए इसे अमान्य किया जाना चाहिए।

(ii) यह कि, अपीलार्थी द्वारा पहनी गई टीशर्ट जिसे उसके मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी-5) के अनुसरण में प्रदर्श पी-6 के तहत जब्त किया गया था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत नहीं आती।

(iii) यह कि, यद्यपि अपीलार्थी से जब्त की गई उक्त टीशर्ट को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था और एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-26) के अनुसार उस पर खून पाया गया है, लेकिन खून की उत्पत्ति और उसके रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सका है और इस प्रकार **बलवान सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि टीशर्ट की बरामदगी पर आधारित नहीं हो सकती है और इस प्रकार, आरोपित निर्णय को अपास्त करते हुए अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री अफरोज खान ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराना पूर्णतः न्यायसंगत है , क्योंकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2019) 7 SCC 781

अभियोजन पक्ष अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, इस प्रकार, यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना , उनके उपरोक्त प्रस्तुत किये गये प्रतिद्वन्द्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया।

10. पहला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है , वह यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करना न्यायोचित है कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी?

11. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने डॉ. मनीष श्रीवास्तव (अ०सा०-10) के साक्ष्य तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी०-14) के आधार पर सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज किया है कि मृतक गंगाराम की मृत्यु वास्तव में हत्यात्मक प्रकृति की थी, जिसमें मृत्यु का कारण सिर में चोट लगने के कारण कोमा बताया गया है और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक बताई गई है। पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सही ढंग से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि मृतक गंगाराम की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी और हम उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं, खासकर जब उक्त निष्कर्ष पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी गंभीरता से बल नहीं दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और अपीलार्थी /अभियुक्त को दो अपराधिक परिस्थितियों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत

दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। पहला दिनांक 02/10/2010 को मृतक द्वारा दिया गया मौखिक मृत्युपूर्व कथन है जिसे तुलाराम (अ०सा०-2), भोलाराम (अ०सा०-12), काशीराम (अ०सा०-13) और सीताराम (अ०सा०-14) द्वारा सिद्ध किया गया है और दूसरा अपीलार्थी द्वारा उसके मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श०पी०-5) के अनुसरण में पहनी गई टीशर्ट की जप्ती हैं , जिसमें एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-26) के अनुसार खून पाया गया है। हम इन दोनों अपराधिक परिस्थितियों पर एक-एक करके विचार करेंगे।

<u>मौखिक मृत्युकालिक कथन</u>

13. मृतक गंगाराम द्वारा तुलाराम (अ०सा०-2), भोलाराम (अ०सा०-12), काशीराम (अ०सा०-13) और सीताराम (अ०सा०-14) के समक्ष कथित रूप से दिया गया मौखिक मृत्युपूर्व कथन विचारण न्यायालय द्वारा सिद्ध पाया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी की ओर से अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित अपराध का उद्देश्य यह है कि मृतक गंगाराम, जो उस स्कूल में छात्र था, जहाँ अपीलार्थी शिक्षक के रूप में कार्यरत था, ने अपीलार्थी को अभियोजन साक्षी-11 के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और इस डर से कि वह उक्त जानकारी का खुलासा कर देगा, उसने मृतक पर हमला किया और उसे मरने के लिए बेहोशी की हालत में एक गड्ढा में छोड़ दिया। अभियोजन साक्षी -11 का न्यायालय के समक्ष परीक्षण किया गया और वह पक्षद्रोही हो गई है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उसने अपीलार्थी के साथ प्रेम संबंध होने के तथ्य से इन्कार किया है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभिलेख में पर्याप्त साक्ष्य लाकर प्रश्नगत अपराध के उद्देश्य को साबित नहीं कर सका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मृतक गंगाराम को उसके दादा सीताराम (अ०सा०-14) एवं दादी कवरीबाई (जिनका परीक्षण नहीं किया गया) ने बाबाजी के खेत में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ पाया था। न्यायालय के समक्ष अपने कथन में सीताराम (अ०सा०-14) ने बताया है कि घटना दिनांक 02/10/2010 को मृतक गंगाराम अपने पिता तुलाराम (अ०सा०-2) से 500/- रूपये लेकर फीस आदि जमा करने स्कूल गया था, उसके बाद वापस घर नहीं लौटा। जब सीताराम (अ०सा०-14) बाबाजी के खेत में काम कर रहा था, तब उसे गांव के बच्चों ने सूचना दी कि गंगाराम की लाश खेत में पड़ी है, उसे अचेत अवस्था में पाकर सीताराम (अ०सा०-14) एवं उसकी पत्नी कवरीबाई मृतक को जीप में बैठाकर पहले मुंगेली थाना एवं उसके बाद उपचार हेतु मुंगेली अस्पताल ले गये। सीताराम (अ०सा०-14) ने आगे बताया कि जब मृतक मुंगेली अस्पताल में इलाज करा रहा था, तब तुलाराम (अ०सा०-2) ने उससे पूछा कि उसके साथ किसने मारपीट की है, तो गंगाराम ने कहा कि शर्मा सर ने उसके साथ मारपीट की है और जब तुलाराम (अ०सा०-2) ने आगे पूछा कि क्या यह वही शर्मा सर हैं जो उसे पढ़ाते हैं, तो मृतक गंगाराम ने सकारात्मक जवाब दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मृतक के चाचा काशीराम (अ०सा०-13) ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में कहा है कि जब गंगाराम को उपचार के लिए बिलासपुर ले जाया जा रहा था, तब उसने स्वीकार किया कि शर्मा सर ने सकरी के पास उसके साथ मारपीट की है। उसने आगे कहा है कि उसे इस तथ्य की जानकारी गंगाराम के पिता तुलाराम (अ०सा०- 2) ने दी थी। उसने यह भी कहा है कि जब मृतक मृत्युपूर्व कथन दे रहा था, तब वह भी वहां मौजूद था। काशीराम (अ०सा०-13) ने भी पुलिस थाना जरहागांव में दिनांक 02/10/2010 को सायं 05:45 बजे

प्रदर्श पी-16 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने कहा है कि घटना दिनांक को मृतक अपनी साइकिल लेकर प्रातः लगभग 09:30 बजे स्कूल गया था तथा दोपहर लगभग 01:00 बजे काशीराम (अ०सा०-13) चावल खरीदने बाजार गया था। शाम करीब पांच बजे जब वह गांव वापस लौट रहा था, तो उसके पिता सीताराम (अ०सा०-14) और मां कवरीबाई ने उसे देख लिया और गाड़ी रोककर बताया कि किसी ने गंगाराम के साथ मारपीट कर उसे खेत में फेंक दिया है और वह बेहोशी की हालत में है और बोल नहीं पा रहा है। इसके बाद वह भी उनके साथ चल दिया और मृतक गंगाराम को पहले पुलिस थाना जरहागांव और फिर मुंगेली अस्पताल ले आया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. मृतक को अस्पताल ले जाने पर सबसे पहले उसकी जांच मुंगेली के डॉ. सुदेश रात्रे (अ०सा०-9) द्वारा शाम 06:10 बजे की गई, जिन्होंने एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-13)के अनुसार मृतक के शरीर पर पांच कटे हुये घाव देखे थे। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने मृतक की जांच की थी, तब उसका काफी खून बह चुका था और वह अर्धचेतन अवस्था में था और प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने मृतक को सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया था। अपने बयान के पैराग्राफ 3 में उन्होंने फिर कहा है कि मृतक अर्धचेतन अवस्था में था, लेकिन बयान देने की स्थिति में नहीं था।

17. मृतक के पिता तुलाराम (अ०सा०-2) एक मुख्य गवाह हैं, जिनके समक्ष मृतक ने कथित रूप से मौखिक मृत्युपूर्व बयान दिया था। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में उन्होंने कहा है कि अपने बेटे के बारे में सूचना मिलने के बाद वे शाम करीब 06:00 बजे मुंगेली अस्पताल पहुंचे और उस समय उनका बेटा गंगाराम जीवित था। इसके बाद उन्होंने कहा है कि गंगाराम ने अपने भाई

भोलाराम (अ०सा०-12) से पानी देने को कहा और जब तुलाराम (अ०सा०-2) ने उनसे पूछा कि किसने उस पर हमला किया है, तो उसने कहा था कि शर्मा सर ने उस पर हमला किया है। जब तुलाराम (अ०सा०-2) ने फिर पूछा कि क्या यह वही शर्मा सर थे जो उनके स्कूल में पढ़ाते थे , तो मृतक ने हां में जवाब दिया। उसने यह भी कहा है कि उस समय भरोसा , केशलाल, चैनू, अनिल और दुलारी वहां मौजूद थे, लेकिन अभियोजन पक्ष को ही ज्ञात कारणों से उनमें से किसी का भी न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पिता सीताराम (अ०सा०-14) भी वहां मौजूद थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. मृतक के भाई भोलाराम (अ०सा०-12) ने भी इसी तरह का बयान दिया है कि मुंगेली अस्पताल में मृतक ने मृत्यु समय उनके पिता तुलाराम (अ०सा०-2) के समक्ष मृत्युकालिक कथन दिया की शर्मा सर ने उनके साथ मारपीट की थी।

19. **दर्शना देवी बनाम पंजाब राज्य**[2] के मामले में, मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन किसी मामले में साक्ष्य का आधार बन सकता है, लेकिन ऐसा मृत्यु-पूर्व कथन विश्वसनीय होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए तथा वह विश्वास पैदा करने वाला होना चाहिए।

20. इसी प्रकार, **अरुण भानुदास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य**[3] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि मृतक द्वारा दिए गए मौखिक मृत्युपूर्व कथन को सावधानी और सतर्कता से लिया जाना चाहिए ,

---

2 1995 Supp (4) SCC 126
3 (2008) 11 SCC 232

क्योंकि कथन देने वाला किसी भी प्रकार से प्रतिपरीक्षण के अध्याधीन नहीं किया जा सकता ।

21. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने **वॉकहोम यामा सिंह बनाम मणिपुर राज्य**[4] के मामले में माना है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मृत्यु पूर्व कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, हालांकि, ऐसे मृत्यु पूर्व कथन को पूरी तरह से विश्वसनीय , स्वैच्छिक और सत्य साबित करना होगा और इसके अलावा इसे देने वाले की चिकित्सीय स्थिति ठीक होनी चाहिए। यह भी माना गया है कि मौखिक मृत्युकालीन कथन कमजोर प्रकृति का साक्ष्य हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह सिद्धांत प्रकट होता हैं कि मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसे दोषसिद्धि का आधार तभी बनाया जा सकता है , जब यह न्यायालय को पूर्ण विश्वास दिलाता हो और यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि उक्त मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन करने वाला इसे करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ था और यह किसी सिखाने, प्रेरणा या कल्पना का परिणाम नहीं था और जहां मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन संदिग्ध है और अभिलेख पर पुष्टि करने वाला कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, वहां न्यायालय के लिए ऐसे मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करना असुरक्षित होगा।

23. मौखिक मृत्युपूर्व कथन के साक्ष्यात्मक मूल्य के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश

---

4 (2011) 13 SCC 125

में वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए , यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में मृतक के चाचा काशीराम (अ०सा०-13), जिन्होंने पुलिस स्टेशन जरहागांव में शाम 05:45 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी०-16) दर्ज कराई थी, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक को पुलिस स्टेशन और उसके बाद अस्पताल ले जाते समय वह अचेत अवस्था में था और वह उस समय बोलने में असमर्थ था। उसने यह भी कहा है कि जब मृतक को उपचार हेतु बिलासपुर अस्पताल ले जाया जा रहा था , तब उसने सकरी के पास पहुंचने पर बताया कि शर्मा सर ने उसके साथ मारपीट की थी और तुलाराम (अ०सा०-2) ने उसे इसकी जानकारी दी थी। तत्पश्चात सायं 06:10 बजे मृतक की सर्वप्रथम जांच डॉ. सुदेश रात्रे (अ०सा०- 9) द्वारा की गई, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया कि मृतक अर्धचेतन अवस्था में था तथा यद्यपि वह अपना सिर हिला सकता था तथा उसने अपना नाम भी बताया था, किन्तु वह बयान देने की स्थिति में नहीं था। मृतक के दादा सीताराम (अ०सा०- 14) ने मृतक को बाबाजी के खेत में मारपीट के परिणामस्वरुप घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाया तथा उसे सर्वप्रथम पुलिस थाना तथा तत्पश्चात मुंगेली अस्पताल ले गए, ने न्यायालय के समक्ष बताया कि जब उसे प्राथमिक उपचार के लिए मुंगेली अस्पताल ले जाया गया, तो उसके पिता तुलाराम (अ०सा०- 2) के पूछने पर मृतक ने बताया कि शर्मा सर ने उसके साथ मारपीट की है। तत्पश्चात सीताराम (अ०सा०- 14) ने यह भी बताया कि मुंगेली अस्पताल में उपचार के दौरान मृतक को 1 से 2 किलो खून की उल्टी हुई थी। इसके अलावा मृतक के पिता तुलाराम (अ०सा०-2) ने न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में कहा है कि मुंगेली अस्पताल में मृतक ने उसे बताया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था कि शर्मा सर ने उसके साथ मारपीट की है और उस समय भरोसा , केशलाल, चैनू, अनिल और दुलारी भी वहां मौजूद थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उनमें से किसी का भी परीक्षण नहीं कराया। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाहों ने एक तरफ यह कहा हैं कि मृतक ने मुंगेली अस्पताल में एमएलसी के दौरान शाम करीब 6:10 बजे अपना मौखिक मृत्युपूर्व बयान दिया था, लेकिन उस समय से पहले शाम करीब 5:45 बजे जब जरहागांव थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, तब अभियोजन साक्षियों ने स्वयं ही यह कहा हैं की मृतक बेहोशी की हालत में था और वह बोल नहीं पा रहा था। इसके अलावा, डॉ. सुदेश रात्रे (अ०सा०- 9) ने चिकित्सीय जांच के समय जो कि शाम 06:10 बजे की गई, अपनी रिपोर्ट में कहा कि मृतक अर्धचेतन अवस्था में था और वह बयान देने की स्थिति में नहीं था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) में मृतक को लगी चोटों की संख्या पर विचार करते हुए, यह माना जाता है कि मृतक मौखिक मृत्युकालिक बयान देने में असमर्थ था (**देखें: मोहर सिंह बनाम राजस्थान राज्य**[5])।

24. उपर्युक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हमारा विचार है कि मृतक गंगाराम मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, जो कि वैध मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान देने के लिए अनिवार्य शर्त है और वैसे भी, तुलाराम (अ०सा-2) का बयान विश्वास पैदा नहीं करता है क्योंकि उसने कहा है कि मृतक ने उसे केवल यह बताया था कि शर्मा सर ने उस पर हमला किया है और हमारे विचार से, यह गलत पहचान का मामला हो सकता है क्योंकि अपीलकर्ता का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है और भले ही तुलाराम (अ०सा०-

5 (1998) 9 SCC 654

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) ने कहा है कि भरोसा, केशलाल, चैनू, अनिल और दुलारी मृतक के मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान देने के समय मौजूद थे, लेकिन अभियोजन पक्ष को ज्ञात कारणों से, उनमें से किसी का भी न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं कराया गया हैं।

25. निष्कर्ष के रूप में, हम इस राय पर पहुँचे हैं कि अभियोजन पक्ष मृतक द्वारा कथित रूप से दिए गए मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन को विश्वसनीय और भरोसेमंद साबित करने में विफल रहा है और विचारण न्यायालय ने उक्त मृत्यु -पूर्व कथन पर भरोसा करने के बाद अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में कानूनी रूप से गलती की है। हम उक्त मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन को अस्वीकार करते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>अपीलार्थी द्वारा पहनी गई टीशर्ट की जप्ती</u>

26. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पहनी गई शर्ट की जब्ती पर भरोसा किया है, जो उसके मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी-5) के अनुसरण में की गई थी और जिसे एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-26) द्वारा सिद्ध पाया गया है, जिसमें उक्त टीशर्ट पर खून पाया गया है।

27. इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रदर्श पी -5 के अनुसार दिनांक 10/10/2010 को प्रातः लगभग 10 बजे अपीलार्थी से पुलिस स्टेशन जरहागांव में मेमोरेण्डम लिया गया है जबकि अपीलार्थी ने इसमें कहा है कि दिनांक 03/10/2010 को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए लाया गया था तथा उस समय उसने सफेद टीशर्ट पहन रखी थी जिसे वह लगातार एक सप्ताह से पहन रहा था तथा उसके पश्चात अपीलार्थी स्वेच्छा से उक्त टीशर्ट को अपने घर से जरहागांव

पुलिस स्टेशन लाया था जो कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-6) से स्पष्ट है। इस प्रकार जिस प्रकार से अपीलार्थी द्वारा पहनी गई उक्त टीशर्ट की बरामदगी प्रदर्श पी-6 के माध्यम से की गई है, उसे यहां अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

28. इस स्तर पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

> “**27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी-** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से , जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो , प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरुप उसका पता चला है , तब ऐसी जानकारी में से , उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं , जितनी एतद्द्वारा पता चले हुये तथ्य से स्पष्टता सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी ”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 केवल तभी लागू होती है जब इकबालिया बयान उस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो जो उससे पता चला है।

30. **असर मोहम्मद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[6] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में प्रयुक्त शब्द "तथ्य" के संदर्भ में माना है कि तथ्यों को स्व -परीक्षणीय होने की आवश्यकता नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में परिकल्पित शब्द "तथ्य" "वास्तविक भौतिक वस्तु" तक सीमित नहीं है। यह आगे माना गया है कि तथ्य की खोज इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना ने सूचना देने वाले की मानसिक जागरूकता के ज्ञान को किसी विशेष स्थान

---

6 AIR 2018 SC 5264

पर उसके अस्तित्व के रूप में प्रदर्शित किया और इसमें किसी वस्तु की खोज, वह स्थान जहाँ से उसे प्रस्तुत किया गया है और अभियुक्त को उसके अस्तित्व के रूप में ज्ञान शामिल है। माननीय न्यायाधीशों ने **पुलुकुरी कोटय्या बनाम किंग एम्परर**[7] के मामले में प्रिवी काउंसिल के द्वारा पारित निर्णय का हवाला देते निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> "13. यह एक विधी का सुस्थापित सिद्धांत है कि तथ्यों को स्वतः प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में वर्णित "तथ्य" शब्द "वास्तविक भौतिक वस्तु" तक सीमित नहीं है। तथ्य की खोज इस तथ्य के कारण होती है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना ने सूचना देने वाले को किसी विशेष स्थान पर उसके अस्तित्व के बारे में ज्ञान या मानसिक जागरूकता प्रदर्शित की। इसमें किसी वस्तु की खोज, वह स्थान जहाँ से उसे प्रस्तुत किया गया है और अभियुक्त को उसके अस्तित्व के बारे में ज्ञान शामिल है। वसंत संपत दुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य[88] के मामले में दिए गए व्याख्या पर विशेष रूप से उसके पैराग्राफ 23 से 29 का उल्लेख करना उपयोगी होगा। यह इस प्रकार है:-
>
> > "23. खोज के कारकों को स्वीकार या अस्वीकार करते समय, कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुलुकुरी कोटय्या बनाम किंग एम्परर (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल ने इस प्रकार माना है: (I.A. पृष्ठ 77)
> >
> > "... धारा के अंतर्गत 'खोजे गए तथ्य' को प्रस्तुत वस्तु के समतुल्य मानना भ्रामक है; खोजा गया तथ्य उस स्थान को शामिल करता है जहाँ से वस्तु उत्पादित की गई है और इस बारे में अभियुक्त का ज्ञान और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए। प्रस्तुत वस्तु के पिछले उपयोग, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उस सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि "मैं अपने

7 AIR 1947 PC 67
8 (2015) 1 SCC 253

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> घर की छत में छिपा हुआ चाकू पेश करूँगा" चाकू की खोज की ओर नहीं ले जाती है; चाकू कई साल पहले खोजे गए थे। यह इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि मुखबिर के घर में उसके ज्ञान के अनुसार एक चाकू छिपा हुआ है, और यदि चाकू का प्रयोग अपराध को कारित करने में किया गया है, तो खोजा गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। लेकिन अगर बयान में 'जिससे मैंने ए को चाकू मारा' शब्द जोड़े जाते हैं, तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे मुखबिर के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं।"

31. उपरोक्त विधिक स्थिति के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10/10/2010 को पुलिस स्टेशन जरहागांव में कथित रूप से मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी-5) किया गया है, जिसके अनुसार उसके द्वारा पहनी गई टीशर्ट को प्रदर्श पी-6 के अनुसार जप्त किया गया है, जबकि अपीलार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने उक्त टीशर्ट दिनांक 03/10/2010 से अर्थात् घटना की तिथि के अगले दिन से पहनी हुई थी तथा मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी-5) तथा जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-6) के अनुसार, अपीलार्थी स्वयं अपने घर गया था तथा टीशर्ट को पुलिस स्टेशन लाया था। अतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा **असर मोहम्मद** (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के आलोक में प्रदर्श पी-6 के द्वारा उक्त टीशर्ट की बरामदगी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार नहीं की गई है। वैसे भी, खोज एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।

32. जहां तक एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-26) का संबंध है, जिसमें अपीलार्थी से जप्त टीशर्ट पर खून पाया गया है, उस पर भी दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खून की उत्पत्ति से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह नहीं पता चल पाया है कि वह मानव रक्त था या नहीं या टीशर्ट पर पाए गए उक्त रक्त का रक्त समूह रक्त के विघटन के कारण पता नहीं लगाया जा सका।

33. **बलवान सिंह बनाम छत्तीसगढ़**[9] के मामले में, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने माना है कि अगर अभियोजन पक्ष द्वारा रक्त से सने सामान की बरामदगी को उचित संदेह से परे साबित कर दिया जाता है, और अगर जांच में यह नहीं पाया जाता है कि वह दूषित है , तो अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाना पर्याप्त हो सकता है कि सामान पर पाया गया खून मानव मूल का है, भले ही रक्त के विघटन के कारण रक्त समूह साबित न हो। माननीय न्यायाधीशों द्वारा निम्नानुसार समीक्षा की गई हैं:-

> "13. उपर्युक्त चर्चा से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा रक्त से सने सामान की बरामदगी को उचित संदेह से परे साबित कर दिया जाता है, और यदि जांच में यह पाया गया कि यह दूषित नहीं है , तो यह पर्याप्त हो सकता है कि अभियोजन पक्ष यह दिखाए कि सामान पर पाया गया रक्त मानव मूल का है, भले ही रक्त के विघटन के कारण रक्त समूह साबित न हो । न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष पर आना होगा, और ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं हो सकता है जिसे अभियोजन पक्ष को साबित करना पड़े , या साबित करने की आवश्यकता न हो, कि रक्त समूह मेल खाते हैं।"

34. इस प्रकार, प्रदर्श पी-6 के अनुसार जप्ती का साक्ष्य , जिसे एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-26) के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा सिद्ध पाया गया है, भी विश्वसनीय नहीं है और इसे अपीलार्थी की सजा का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

9 (2019) 7 SCC 781

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

35. उपर्युक्त विधिक विश्लेषण के परिणामस्वरूप और चर्चा के रूप में, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन के परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ-साथ अपीलार्थी के खिलाफ टी-शर्ट की बरामदगी को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और इस मामले के मद्देनजर, हम अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध की दोषसिद्धि और इस तरह से सजा सुनाए गए फैसले को निरस्त करते हैं। अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और चूंकि वह पहले से ही जमानत पर है , इसलिए उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के मद्देनजर उसके जमानत प्रतिभूति छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

36. तदनुसार, यह आपराधिक अपील स्वीकृत की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(संजय के० अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय एस० अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**